फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल पिता हिरालाल बैरवा निवासी 48 / 02 ए टाईप जिंक कॉलोनी, राजपुरा दरिबा खान दरिबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति0जिला कलक्टर राजसमन्द

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार,2005 पत्रावली संख्या 34 / 2018

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.08.2018	

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लो0सू0 अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लो0सू0 अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लो0सू0 अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांकः—प.1 ( ) सू.अ.05 / 2018 / 677—678 दिनांक 17.06.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 22.06..2018 को सूचना के अधिकारी अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय / अनुभाग को दिनांक 27.06.2018 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र में चाही गई वर्णित वांछित सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर प्रबन्धक /लोकेशन हेड हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की होने से जरिये पत्रांक प.1 ( )सू0अ0 05 / 2018 / 483—84 दिनांक 28.06.2018 को प्रेषित किया गया। प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु समय पर कार्यवाही गई ।

प्रार्थी / अपीलार्थी की अपील के संदर्भ में प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी करते हुये अपीलार्थी को भी नोटिस की प्रति प्रेषित कर अपील के उत्तर पर आपकी कोई प्रतिकिया हो तो आप व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे । इस कम में प्रार्थी / अपीलार्थी वक्त पेशी उपस्थित नही हुआ है ।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी वक्त पेशी उपस्थित नहीं है ।

प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द के यहा की है । अतः हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 2 (ज) (अनुच्छेद 6) की पालना में यदि हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन द्वारा सारभूत रूप से उपलब्ध कराये गये अनुदान से वित्त पोषित हो तो प्रार्थी अपीलार्थी को नियमानुसार 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावें । निर्णय की प्रति अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला राजसमन्द एव प्रवन्धक /लोकेशन हेड हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)